भारत सरकार केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, महावीर नगर प्रथम, झालावाड रोड, कोटा – 324005, **राजस्थान**	सत्यमेव जयते	Government of India Central Bureau of Narcotics O/o The Dy. Narcotics Commissioner Mahaveer Nagar-I, Jhalawar Road, Kota-324005,Rajasthan

STD : 0744, PBX : 2438928, DNC : 2438929; ANC: 2438927
E-mail: dnc-kota@cbn.nic.in Website : www.cbn.nic.in

F.No.I(22)-3/Adm/2018- Dated:- 10.04.2023

निविदा

राजस्थान इकाई में अफीम फसल वर्ष 2022–23 के लिए अफीम तौल कार्य हेतु अफीम गोदाम, चित्तौड़गढ़ से लगभग 15000 अफीम कन्टेनरों(उक्त संख्या घट बढ़ सकती है) को शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर तक सुरक्षित रूप से पॅहुचाने हेतु किराये पर बंद बाडी ट्रक उपलब्ध कराने की निविदायें आमंत्रित की जाती है।

नियम एवं शर्तें

1. विभाग को लगभग 23 बंद ट्रकों की आवश्यकता होगी। ट्रक कंटेनर 30'' फीट लम्बाई का होना चाहिए, जो पूरी तरह से बंद हो, जिसके दरवाजे पर ताला लगा कर सीज किया जा सके। ट्रक की टूट–फूट, रिपेयर की जिम्मेवारी स्वयं पार्टी की होगी। सभी ट्रकों पर जी0पी0एस0 (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) इन्स्ट्रूमेन्ट लगा होना अनिवार्य है।
2. निविदा में ट्रक किराया प्रतिदिन प्रति ट्रक एवं डीजल किलोमीटर/प्रति लीटर के अनुसार देना होगा, जिस पर ''अफीम परिवहन कार्य हेतु बंद ट्रकों की निविदा'' अंकित होना चाहिए निविदा में लागू जी.एस.टी. व अन्य टैक्स अलग–2 कर दर्शाया जाये।
3. निविदादाता अपनी मोहर बंद निविदा कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा में दिनांक 17.04.2023 को 14.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है जिसे दिनांक 17.04.2023 को ही 15.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।
4. निविदादाताओं को निविदा के साथ धरोहर राशि रूपये 25000/– का बैंक ड्राफ्ट जो **अधीक्षक (कार्यपालक) केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा** के नाम देय हो, संलग्न करना होगा। सफल निविदादाता को सेवा कर जमा कराने के प्रमाण प्रस्तुत करने पर अमानत राशि वापस की आएगी।
5. अफीम परिवहन का कार्य माह मई, 2023 के प्रथम सप्ताह में करना होगा। कार्य आरम्भ होने की तिथि की सूचना फर्म को पूर्व में ही दे दी जायेगी।
6. टोल टैक्स का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा, जिसका भुगतान मूल बिल प्रस्तुत करने पर विभाग से प्राप्त किया जा सकेगा।
7. नोडल बिन्दु अफीम गोदाम चित्तौडगढ़ में बन्द बाडी ट्रक निर्धारित समय एवं दिनांक पर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने होगे। कार्य समाप्ति पर ट्रक अफीम फैक्ट्री गाजीपुर से ही रीलीज कर दिये जायेंगे।
8. इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस कार्यालय में 10.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।
9. यदि निविदादाता द्वारा निश्चित समय तक ट्रक उपलब्ध नही कराया जाता है अथवा परिवहन के दौरान ट्रक खराब हो जाता है एवं निविदादाता द्वारा तुरन्त समाधान नही करने पर विभाग को यह अधिकार होगा कि वह कार्य निष्पादन हेतु किसी भी स्थानीय फर्म से ट्रक भाड़े पर लेवे तथा इस संबंध में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा।
10. वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस व वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन व इन्श्योरेंस होना अनिवार्य है।
11. ट्रक का वाहन चालक व क्लीनर नशे का आदी नही होना चाहिए।
12. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किए जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटौती की जा सकती है एवं धरोहर राशी भी जप्त की जा सकती है।
13. फर्म के पास कामन कैरियर सार्टिफिकेट होना आवश्यक होगा।
14. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा।

क्रमशः प –2

15. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही कोटा न्यायालय के अधीन होगी।
16. सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होंगे।
17. जी.एस.टी. अधिकृत रजिस्टर्ड फर्म का ही कोटेशन मान्य होगा कोटेशन मे दर जी.एस.टी. सहित दर्शायें।

(विकास जोशी)
उप नारकोटिक्स आयुक्त
कोटा, राजस्थान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को विभाग की वेब साईट www.cbn.nic.in पर देने का श्रम करें।
2. जिला अफीम अधिकारी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़–I/II/III, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ I/II को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मो को सूचित करें।

उप नारकोटिक्स आयुक्त
कोटा, राजस्थान